



दिनांक: 28 अगस्त, 2023

पत्रांक:-आर0एम0पी0यू0/2245/2023

सेवा में,

श्री अशोक कुमार,

पुत्र श्री लक्ष्मीकांत, ग्राम कलाना पोस्ट कोड़ा

जहानाबाद, जिला फतेहपुर।

विषय: अनुमोदन निरस्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके शिकायती पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक: 26 अगस्त, 2023 के अनुपालन में कवि पूरणमल दास शिक्षण संस्थान, कुतुबपुरा, एटा प्रवक्ता बी0एड0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

(महेश कुमार)

कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. कवि पूरणमल दास शिक्षण संस्थान, कुतुबपुरा, एटा को इस निर्देश के साथ की निरस्त किये गये अनुमोदन के स्थान पर नये शिक्षक अनुमोदन की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ करना सुनिश्चित करें।

*Kail*

सहा0कुलसचिव